(५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 863–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–12–11 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर म0प्र0 प्रकरण कमांक 22 निगरानी/2010–11.

हरबोबाई पुत्री श्री पन्नालाल रघुवंशी
पत्नी श्री हरवीरसिंह रघुवंशी
निवासी ग्राम देहरी खुर्द, तहसील आरोन,
पोस्ट घटावदा जिला गुना ——— आवेदक

विरूद्ध

1– रणवीर सिंह आत्मजश्री जगन्नाथसिंह रघुवंशी
निवासी बारमहू, तहसील अशोकनगर,
जिला अशोकनगर

2– सुन्दरबाई विधवा पत्नी जगन्नाथ सिंह रघुवंशी
निवासी ग्राम बारमहू, तहसील अशोकनगर,
जिला अशोकनगर

3– छतरसिंह आत्मज श्री हमीर सिंह रघुवंशी
निवासी ग्राम बारमहू, तहसील अशोकनगर,
जिला अशोकनगर ——— अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र द्विवेदी ।
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक १–१२– 2015 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 22/निगरानी/2010–11 में पारितआदेश दिनांक 07–12–11के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा ग्राम पंचायत वारमहू के प्रस्ताव कमांक 7 दिनांक 27–5–08 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 5–5–10 अर्थात 2 वर्ष 11 माह बाद अपील पेश की गई । अपील के साथ उन्होंने विलंब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पेश किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 23–12–10 द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार करते हुए अपील अवधि मान्य की तथा प्रकरण गुणदोशों पर सुनवाई हेतु नियत किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की गई जो अपर कलेक्टर द्वारा इस आधार पर स्वीकार की गई कि आवेदिका को अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी ऐसी स्थिति में उसे अवधि विधान की धारा 5 के तहत अनुतोष पाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अतः अपर कलेक्टश्र ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारापारित आदेश विधि अनुसार न मानते हुए अपास्त किया गया है । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन संपत्ति में आवेदिका, अनावेदक कमांक 1 एवं 2 तथा अनावेदक कमांक 3 का 1/3–1/3 हिस्सा था किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उसे हिस्से के मान से कम भूमि दी गई है अर्थात बटवारा सही प्रकार से नहीं किया गया है । आवेदिका को विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 27–5–08 की कोई जानकारी नहीं दी गई उसे सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27–4–10 को हुई कि ग्राम पंचायत ने आवेदक की भूमि का बटवारा कर दिया है और उसे 4.337 हैक्टर के बजाय 2.780 हैक्टर भूमि दी गई है ।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय यह अवैध रूप से मान्य किया है कि आवेदक का सहमति का अंगूठा प्रस्ताव कमांक 27–5–08 पर लगा है जबकि वास्तविकता यह है कि वह दिनांक 27–5–08 को विचारण न्यायालय में न तो गई न उसने सहमति दी । उसका फर्जी अंगूठा लगा हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानने में भी भूल की है कि आवेदिका का बंटवारा आदेश सहमति के आधार पर होने से अपील योग्य नहीं है जिन

न्यायदृष्टांतों का हवाला देते हुए अपर कलेक्टर ने अपील स्वीकार की है उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न है ।

यह तर्क दिया गया कि जैसे ही आवेदिका को विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी दिनांक 27–4–10 को हुई उसके द्वारा दिनांक 28–4–10 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन दिया गया और प्रतिलिपि प्राप्त होने पर तत्काल अपील की । विचारण न्यायालय का आदेश आवेदक के फर्जी अंगूठे लगाकर प्राप्त किया गया है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी ने विलंब क्षमा करते हुए जो आदेश पारित किया है उसे निरस्त करने में अपर कलेक्टर ने त्रुटि की है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि यह प्रकरण बटवारे का है । सहमति से बटवारा विचारण न्यायालय में हुआ । जिसके विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा 2014 आर0एन0 220 एवं 2007 आर0एन0 359 का हवाला दिया गया ह ।

यह तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील विलंब से पेश की गई थी जिसे स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी ने त्रुटि की थी अतः अपर कलेक्टर ने उनके आदेश को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का सूक्ष्मता से अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में ग्राम पंचायत वारमहू द्वारा प्रस्ताव कमांक 7 दिनांक 27–5–08 द्वारा उभयपक्षों के मध्य बटवारा स्वीकार किया गया है । अपने ठहराव में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदकों (उभयपक्षों) द्वारा प्रस्तुत सहमति बटवारा फर्द के अनुसार सहमति बटवारा स्वीकार किया जाता है । इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की गई जिसमें उन्होंने दिनांक 23–12–10 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए

अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार करते हुए अपील को अवधि अंदर मान्य किया गया जिसके विरूद्ध अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए निगरानी को स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है ।

6/ इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिंदु यह है कि क्या आवेदिका को विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी थी और क्या अनुविभागीय अधिकारी ने विलंब से प्रस्तुत अपील को अवधि अंदर मान्य करने में कोई विधिक त्रुटि की है या नहीं ? जहां तक प्रकरण में विलंब क्षमा किए जाने का प्रश्न है अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बटांक में आवेदिका एवं अनावेदकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के हस्ताक्षर/अंगूठा अंकित हैं । अपर कलेक्टर के उक्त निष्कर्ष की पुष्टि अभिलेख में संलग्न पटवारी प्रतिवेदन से होती है, जिस पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी अंकित हैं । ऐसी स्थिति में आवेदिका का विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी प्रथम बार दिनांक 27–5–08 को होना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । विलंब के प्रकरणों में विलंब के कारणों का समाधान कारक स्पष्टीकरण आवश्यक है जो इस प्रकरण में नहीं है । न्यायदृष्टांत ए0आई0आर0 1962 एस0सी0 361 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि प्रत्येक दिन की देरी का स्पष्टीकरण नहीं दिया और पर्याप्त कारण साबित नहीं किया गया तब इस तरह के प्रकरण में विलंब हेतु माफी नहीं दी जा सकती । न्यायदृष्टात 2..9 आर0एन0 42 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा 3 (1) वाद, अपील अथवा आवेदन परिसीमा की अवधि के पश्चात प्रस्तुत –– समयवर्जित हाने के कारण खारिज किया जाना होता है भले ही विरोधी पक्षकार द्वारा परिसीमा का आधार नहीं उठाया गया हो । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1992 रा0एन0 289 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा 5 – व्याप्ति अधिकारिता की प्रकृति – वैवेकिक है – पक्षकार विलंब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है – पर्याप्त कारण का सबूत

– अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है – न्यायालय अपनी अंतनिर्हित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर बटवारा आदेश पारित किया गया है, सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं है । इस तथ्य को भी अनुविभागीय अधिकारी ने अनदेखा किया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने में कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं की गई है इस कारण अपर कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–12–11 विधि सम्मत होने से स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर